प्रारंभिक परीक्षा

सेहत(SEHAT) मिशन

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रियों ने नई दिल्ली में 'सेहत मिशन' (Science Excellence for Health through Agricultural Transformation - कृषि परिवर्तन के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान उत्कृष्टता) का शुभारंभ किया।

शामिल संगठन

- **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR):** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत।
- **भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR):** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत।

उद्देश्य

- इसका प्राथमिक उद्देश्य 'स्वस्थ भोजन, स्वस्थ खेत और स्वस्थ भारत' के लिए एक वैज्ञानिक ढांचा तैयार करना है।
- इसका लक्ष्य एक 'खेत-से-थाली' (farm-to-plate) वैज्ञानिक श्रृंखला बनाना है जो यह सुनिश्चित करे कि देश में उगाया गया भोजन सीधे रोग निवारण और पोषण सुरक्षा में योगदान दे।

प्रमुख विशेषताएँ

- **फसलों का जैव-सुदृढ़ीकरण (Bio-fortification):** प्राकृतिक रूप से जिंक और आयरन जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर फसलों की किस्मों को विकसित और प्रोत्साहित करना।
- **पारंपरिक अनाजों को बढ़ावा देना:** कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार और बाजरा जैसे जलवायु-अनुकूल और पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाजों के उपभोग पर पुनः बल देना।
- **एकीकृत कृषि प्रणाली:** ग्रामीण परिवारों को विविध और संतुलित पारिवारिक पोषण सुनिश्चित करने के लिए फसल खेती के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन को संयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **किसान स्वास्थ्य और सुरक्षा:** कीटनाशक प्रदर्शन और खतरनाक रसायनों से जुड़े जोखिमों से किसानों की रक्षा के लिए वैज्ञानिक हस्तक्षेप और जागरूकता कार्यक्रम लागू करना।
- **गैर-संचारी रोगों (NCDs) के लिए आहार संबंधी समाधान:** मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने और प्रबंधित करने में मदद करने के लिए औषधि के रूप में कार्य करने वाले खाद्य विकल्पों पर शोध करना और उन्हें बढ़ावा देना।
- **'वन हेल्थ' दृष्टिकोण:** चिकित्सा और कृषि वैज्ञानिकों के बीच संयुक्त योजना के माध्यम से लोगों, जानवरों और पर्यावरण के परस्पर जुड़े स्वास्थ्य का समाधान करना।
- **विज्ञान-आधारित नीति समर्थन:** कृषि नीति को राष्ट्रीय पोषण रणनीतियों के साथ संरेखित करने के लिए वास्तविक समय के डैशबोर्ड और अनुसंधान डेटाबेस बनाना।

स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की कि धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों को धर्मार्थ(charitable) माना जाना चाहिए या धार्मिक संस्थान(religious institutions), यह मुख्य रूप से सरकार और शिक्षा मंत्रालय के परीक्षण का विषय है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे नीति-संबंधी प्रश्न सरकार और शिक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिससे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष न्यायिक हस्तक्षेप से बचा जा सके।
- न्यायालय ने धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों की संवैधानिक स्थिति में बदलाव लाने वाला कोई आदेश जारी नहीं किया।
- अनुच्छेद 19 और 30 के तहत मौजूदा संवैधानिक संरक्षण तब तक लागू रहेंगे जब तक कि संसद या सरकार कानून या नीति के माध्यम से परिवर्तन नहीं करती।

सम्बद्ध संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 26(a):** यह धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 19(1)(g):** यह नागरिकों को किसी भी पेशे को करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या धंधे को चलाने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 30(1):** यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार देता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 'वन केस वन डेटा' और 'SU SAHAY' चैटबॉट लॉन्च किया

संदर्भ

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने अदालतों के कामकाज में सुधार करने और न्यायिक प्रणाली को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए 'वन केस वन डेटा' और 'Su Sahay' चैटबॉट नामक डिजिटल पहलों की घोषणा की।

"वन केस वन डेटा" की प्रमुख विशेषताएं

- इस पहल का उद्देश्य तालुक और जिला अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय तक सभी अदालतों को एक सामान्य डिजिटल प्रणाली के माध्यम से जोड़ना है।
- प्रत्येक मामले का एक एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड होगा, जिससे मामले से संबंधित जानकारी में दोहराव और भ्रम कम होगा।
- यह प्लेटफॉर्म विभिन्न अदालतों को अधिक सुचारू रूप से जानकारी साझा करने में मदद करेगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा।
- न्यायाधीश, वकील और वादकारी एक एकीकृत प्रणाली के माध्यम से मामले के विवरण तक तेजी से पहुंच सकते हैं।
- बेहतर डिजिटल रिकॉर्ड से लंबित मामलों के बेहतर प्रबंधन और निगरानी में मदद मिल सकती है।

"Su Sahay" चैटबॉट की प्रमुख विशेषताएं

- **Su Sahay सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के साथ एकीकृत एक आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस-संचालित चैटबॉट है।**

- यह चैटबॉट उपयोगकर्ताओं को मामले की स्थिति, न्यायालय की प्रक्रियाओं, फाइलिंग प्रक्रिया और सुनवाई के विवरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है।
- इसे अधिक सुलभता और पारदर्शिता प्रदान करने के लिए नागरिक-अनुकूल इंटरफेस के साथ डिजाइन किया गया है।
- चैटबॉट त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान कर सकता है, जिससे मैनुअल सहायता पर निर्भरता कम हो जाती है।

मुख्य परीक्षा

भारत-वियतनाम सामरिक साझेदारी में नया चरण

संदर्भ

2026 में टो लैम की भारत यात्रा ने बदलते हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) भू-राजनीति के बीच संबंधों को 'उन्नत व्यापक सामरिक साझेदारी' (Enhanced Comprehensive Strategic Partnership) के स्तर पर पहुँचाने को चिह्नित किया।

हिंद-प्रशांत गतिशीलता द्विपक्षीय संबंधों को नया आकार दे रही है

- **चीन की मुखरता:** दक्षिण चीन सागर में बढ़ता तनाव और समुद्री दबाव भारत और वियतनाम को घनिष्ठ सामरिक समन्वय की ओर धकेल रहे हैं।
    - उदा. दोनों एक नियम-आधारित भारत-प्रशांत व्यवस्था, नौवहन की स्वतंत्रता और UNCLOS-आधारित समुद्री शासन का समर्थन करते हैं।
- **आर्थिक से सुरक्षा-केंद्रित भारत-प्रशांत की ओर बदलाव:** भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' एक व्यापक भारत-प्रशांत रणनीति के रूप में विकसित हो रही है, जिसमें समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर अधिक बल दिया गया है।
- **आपूर्ति श्रृंखला का सुरक्षाकरण (Supply Chain Securitisation):** चीन-केंद्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता कम करने के वैश्विक प्रयास दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ा रहे हैं।
- **लघु-बहुपक्षीय (Minilateral) साझेदारियों का उदय:** भारत और वियतनाम भारत-प्रशांत स्थिरता के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे भागीदारों के साथ तेजी से सहयोग कर रहे हैं।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रतिस्पर्धा:** सेमीकंडक्टर्स, एआई (AI), दुर्लभ मृदा तत्वों (rare earths) और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सामरिक प्रतिस्पर्धा गहरे सहयोग को प्रेरित कर रही है।
- **आसियान (ASEAN) की केंद्रीयता:** दोनों देश क्षेत्रीय वास्तुकला में आसियान की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करते हुए स्वतंत्र विदेश नीतियों का अनुसरण करते हैं।
- **रक्षा सहयोग**
    - **INS कृपाण का हस्तांतरण:** भारत ने 2023 में मिसाइल कार्वेट 'INS कृपाण' वियतनाम को हस्तांतरित किया।
    - **ब्रह्मोस मिसाइल चर्चा:** ब्रह्मोस निर्यात पर बातचीत क्षमता निर्माण से क्षमता संवर्धन की ओर बढ़ने का संकेत देती है।
    - **प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग सहयोग:** भारत प्रशिक्षण, ऋण सुविधा (Lines of Credit) और जहाज निर्माण, समुद्री प्रणाली एवं रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग प्रदान करता है।

संबंधों में विद्यमान मुद्दे

- **व्यापार और कनेक्टिविटी अंतराल:** रसद बाधाएं (logistics bottlenecks) और कमजोर कनेक्टिविटी पूर्ण आर्थिक क्षमता को सीमित करती हैं।
- **कार्यान्वयन की कमी:** कई समझौतों के निष्पादन में देरी का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से रक्षा-औद्योगिक सहयोग में।
- **भू-राजनीतिक संवेदनशीलता:** चीन का कारक रक्षा और सुरक्षा सहयोग में सामरिक सावधानी पैदा करता है।
- **सीमित निजी क्षेत्र की भागीदारी:** अपर्याप्त व्यापार-से-व्यापार (B2B) और स्टार्टअप-स्तर का एकीकरण आर्थिक गहराई को कम करता है।

- **नियामक और वित्तीय बाधाएं:** कानूनी ढांचे, वित्त पोषण की कमी और निर्यात नियम तकनीकी सहयोग को प्रभावित करते हैं।

आगे की राह

- **समुद्री सहयोग को गहरा करना:** नौसैनिक अभ्यासों, समुद्री क्षेत्र जागरूकता (maritime domain awareness) और तटरक्षक सहयोग का विस्तार करना।
- **रक्षा औद्योगिक संबंधों को मजबूत करना:** ब्रह्मोस जैसी सह-उत्पादन और रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण परियोजनाओं में तेजी लाना।
- **कनेक्टिविटी में सुधार:** भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच डिजिटल, शिपिंग और आपूर्ति श्रृंखला कनेक्टिविटी को बढ़ाना।
- **आर्थिक साझेदारी का विस्तार:** सेमीकंडक्टर्स, महत्वपूर्ण खनिजों, हरित ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाना।
- **आसियान ढांचे का लाभ उठाना:** क्षेत्रीय सहयोग और भारत-प्रशांत स्थिरता को मजबूत करने के लिए आसियान-नेतृत्व वाले संस्थानों का उपयोग करना।
- **नवाचार सहयोग को बढ़ावा देना:** स्टार्टअप इकोसिस्टम, शैक्षणिक आदान-प्रदान और उभरती प्रौद्योगिकी साझेदारियों को प्रोत्साहित करना।

E30 एथेनॉल सम्मिश्रण की ओर भारत का कदम

संदर्भ

2030 के लक्ष्य से पहले 20% एथेनॉल सम्मिश्रण (E20) प्राप्त करने के बाद, अब E30 (30% एथेनॉल सम्मिश्रण) की ओर बढ़ने पर चर्चा शुरू हो गई है।

E30 के लाभ

- **कच्चे तेल पर निर्भरता में कमी:** उच्च एथेनॉल सम्मिश्रण आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम कर सकता है (भारत ने 2025 में अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का ~85% आयात किया)।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** अधिक घरेलू ईंधन प्रतिस्थापन भू-राजनीतिक तेल झटकों (पश्चिम एशिया संघर्ष, ओपेक आपूर्ति व्यवधान) के विरुद्ध लचीलापन प्रदान करता है।
- **कम कार्बन उत्सर्जन:** एथेनॉल सम्मिश्रण वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करता है (यह भारत के शुद्ध-शून्य और जलवायु लक्ष्यों का समर्थन करता है)।
- **किसान आय सहायता:** एथेनॉल गन्ना, मक्का और अनाज किसानों के लिए एक अतिरिक्त बाजार बनाता है (चीनी मिलों ने 2014-24 के दौरान एथेनॉल की बिक्री से ₹94,000+ करोड़ अर्जित किए)।
- **ग्रामीण औद्योगिक विकास:** आसवनी (distilleries) और जैव-ईंधन बुनियादी ढांचे का विस्तार ग्रामीण रोजगार और कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देता है।
- **फीडस्टॉक का विविधीकरण:** मक्का और दूसरी पीढ़ी (2G) के एथेनॉल की ओर बदलाव से गन्ने पर आधारित एथेनॉल पर अत्यधिक निर्भरता कम हो सकती है।

E30 में परिवर्तन में चुनौतियाँ

- **जल तनाव:** गन्ने पर आधारित एथेनॉल अत्यधिक जल-गहन है (प्रति लीटर एथेनॉल के लिए ~2,860 लीटर पानी की आवश्यकता होती है), जिससे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भूजल की कमी की समस्या और गंभीर हो जाती है।
- **खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** एथेनॉल के लिए चावल और खाद्यान्न के उपयोग से खाद्य उपलब्धता प्रभावित हो सकती है (सरकार ने कम उत्पादन के कारण 2023 में चावल के विपथन पर प्रतिबंध लगा दिया था)।

- **जलवायु संवेदनशीलता:** खराब मानसून और संभावित अल नीनो (El Niño) स्थितियां गन्ना और धान के उत्पादन को कम कर सकती हैं, जिससे एथेनॉल आपूर्ति और खाद्य भंडार प्रभावित हो सकते हैं।
- **भूमि उपयोग और फसल विरूपण:** बड़े पैमाने पर मक्का या गन्ने के विस्तार से फसल पैटर्न बदल सकता है और कृषि भूमि पर दबाव बढ़ सकता है।
- **बुनियादी ढांचे की बाधाएं:** E30 के लिए आसवनी, भंडारण और परिवहन प्रणालियों में बड़े निवेश की आवश्यकता है (अनुमानित एथेनॉल मांग: 1,700-1,800 करोड़ लीटर)।
- **ऑटोमोबाइल अनुकूलता के मुद्दे:** भारत में अधिकांश वाहन पूरी तरह से E20-अनुकूल नहीं हैं; E30 के लिए इंजन में और अधिक संशोधनों की आवश्यकता होगी और इससे ईंधन दक्षता कम हो सकती है।
- **आयात बिल पर सीमित प्रभाव:** E20 की उपलब्धि के बावजूद, ईंधन की बढ़ती मांग के कारण कच्चे तेल के प्रतिस्थापन से भारत के आयात बिल में 3% से भी कम की कमी आई।
- **नई निर्भरता का जोखिम:** दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल के बिना, भारत तेल निर्भरता को जल-गहन फसलों और खाद्य-आधारित फीडस्टॉक पर निर्भरता से बदल सकता है।

आगे की राह

- **दूसरी पीढ़ी (2G) एथेनॉल को बढ़ावा देना:** खाद्य सुरक्षा और जल तनाव की चिंताओं को कम करने के लिए कृषि अवशेषों और गैर-खाद्य बायोमास का उपयोग करना।
- **कम जल-गहन फीडस्टॉक की ओर बदलाव:** अत्यधिक गन्ना निर्भरता के बजाय मक्का और वैकल्पिक जैव-ईंधन फसलों को प्रोत्साहित करना।
- **वाहन और ईंधन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना:** ई-अनुकूल वाहन इकोसिस्टम, भंडारण क्षमता और वितरण नेटवर्क का विस्तार करना।
- **संतुलित ऊर्जा संक्रमण:** दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए एथेनॉल विस्तार को ईवी (EV) अपनाने, हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ संयोजित करना।

VB-GRAM G अधिनियम

संदर्भ

भारत सरकार ने विकसित भारत – ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)) [VB–G RAM G] अधिनियम, 2025 की घोषणा की है, जो 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगा।

VB-G RAM G अधिनियम के बारे में

- **उद्देश्य:** ग्रामीण परिवारों को मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करना और साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली, टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना जो राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे में योगदान दें।
- **मुख्य विजन:** यह ग्रामीण रोजगार को व्यापक आर्थिक लक्ष्यों के साथ जोड़ता है, जिसका उद्देश्य स्थानीय विकास योजनाओं (विकसित ग्राम पंचायत योजना) को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं (पीएम गति शक्ति) के साथ एकीकृत करना है।
- **विधायी स्थिति:** इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 के प्रतिस्थापन के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
- **वर्धित गारंटी:** यह प्रति वर्ष प्रति परिवार गारंटीकृत मजदूरी रोजगार को वैधानिक रूप से 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है।

- **वित्त पोषण संरचना में बदलाव:** यह मजदूरी बिल के लिए 60:40 केंद्र-राज्य लागत-साझाकरण मॉडल पेश करता है, जो अकुशल मजदूरी के लिए पिछले 100% केंद्रीय वित्त पोषण से एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

मनरेगा को बदलने की क्या आवश्यकता है?

- **बदलती ग्रामीण वास्तविकताएं:** मनरेगा 2005 में अधिनियमित किया गया था; सरकार का तर्क है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदल गई है, जिसके लिए एक आधुनिक ढांचे की आवश्यकता है।
- **परिसंपत्ति गुणवत्ता संबंधी चिंताएं:** यह आलोचना की गई है कि मनरेगा से अक्सर गैर-टिकाऊ या कम उपयोगिता वाली परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ। VB GRAM G का लक्ष्य 'उत्पादक परिसंपत्तियों' जैसे जल सुरक्षा और मुख्य बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देना है।
- **कृषि में श्रम आपूर्ति:** किसानों ने अक्सर शिकायत की है कि मनरेगा खेती के व्यस्त सत्रों के दौरान श्रम की कमी पैदा करता है।
- **राजकोषीय अनुशासन:** "ओपन-एंडेड" फंडिंग मॉडल से "मानक आवंटन" (normative allocation) की ओर बढ़ने से केंद्र को राजकोषीय परिव्यय को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलती है।

Difference between MGNREGA and VB-GRAM G

Feature	MGNREGA	VB-GRAM G
Guaranteed Workdays	Legal guarantee of at least 100 days of wage employment annually.	Increases guarantee to 125 days of wage employment per household.
Wage Funding	Centre bears 100% cost of unskilled labour wages.	Mandates 60:40 Centre-State cost sharing for wage bills.
Nature of Right	Justiciable Right — citizens can sue if work is denied; funding is open-ended.	Schematic Entitlement — guarantee capped by fixed budget allocation.
Budgeting Approach	Based on actual demand for work reported by states.	Centre determines a fixed annual allocation regardless of demand.
Operational Period	Operates continuously year-round without seasonal pauses.	Allows suspension up to 60 days during peak agricultural seasons.
Payment Frequency	Wages paid within 15 days of work completion.	Envisages weekly payments to improve workers' cash flow.

VB-G RAM G के लाभ

- **बढ़ी हुई रोजगार गारंटी:** वार्षिक वैधानिक गारंटी प्रति परिवार 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि हो सकती है।
- **तेजी से मजदूरी भुगतान:** इसमें साप्ताहिक मजदूरी भुगतान की परिकल्पना की गई है, जिससे मनरेगा के तहत 15-दिवसीय चक्र की तुलना में श्रमिकों के लिए तरलता में सुधार होगा।
- **कृषि के लिए समर्थन:** व्यस्त कृषि सत्रों के दौरान सार्वजनिक कार्यों को 60 दिनों तक रोकने का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को जरूरत पड़ने पर श्रम उपलब्ध हो।

- **जल सुरक्षा पर ध्यान:** जल-संबंधी कार्यों पर समर्पित ध्यान देने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता में सुधार करना है।
- **तकनीकी एकीकरण:** यह लीकेज (क्षरण) को रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और एआई-सक्षम एनालिटिक्स सहित एक व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम को अनिवार्य बनाता है।

संबद्ध चुनौतियाँ

- **अधिकारों का हनन:** आलोचकों का तर्क है कि "न्यायसंगत अधिकार" से "योजनाबद्ध हक" की ओर बदलाव, जिसमें बजट सीमा भी शामिल है, काम के कानूनी दावे को मौलिक रूप से कमजोर करता है। यदि धन समाप्त हो जाता है, तो काम से वंचित किया जा सकता है।
- **राज्यों पर राजकोषीय बोझ:** 60:40 के वित्त पोषण विभाजन से बिहार या यूपी जैसे गरीब राज्यों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है, जहां काम की मांग अधिक है लेकिन राजस्व क्षमता कम है।
- **शक्ति का केंद्रीकरण:** 'मानक आवंटन' मॉडल केंद्र को वित्त पोषण की सीमा निर्धारित करने की अनुमति देता है, जिससे स्थानीय मांग के आधार पर योजना बनाने की राज्यों की स्वायत्तता कम हो जाती है।

आगे की राह

- **हाइब्रिड फंडिंग तंत्र:** सरकार एक 'प्रति-चक्रवात' (counter-cyclical) फंडिंग विंडो पर विचार कर सकती है, जहां केंद्र कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए घोषित संकट के वर्षों (जैसे सूखा) के दौरान 100% वित्त पोषण के साथ हस्तक्षेप करे।
- **राज्य क्षमताओं को मजबूत करना:** गरीब राज्यों को उनके मजदूरी बिल हिस्से में अचानक वृद्धि को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए संक्रमणकालीन अनुदान (transitional grants) के साथ समर्थन दिया जाना चाहिए।
- **मजबूत सामाजिक अंकेक्षण:** ऊपर से नीचे (top-down) के 'मानक आवंटन' को संतुलित करने के लिए, ग्राम सभा स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु नीचे से ऊपर (bottom-up) के सामाजिक अंकेक्षण को मजबूत किया जाना चाहिए।
- **मौसमी विराम की समीक्षा:** 60-दिवसीय विराम लचीला होना चाहिए और इसका निर्णय स्थानीय ग्राम सभाओं द्वारा किया जाना चाहिए।

घटते विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ते स्वर्ण आयात की समस्या

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से मितव्ययिता के उपाय अपनाने का आह्वान किया है, और उनसे सोने की खरीद, विदेश यात्रा और पेट्रोलियम खपत में कटौती करने का आग्रह किया है।

सुझाए गए उपाय

- **सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें:** पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करने के लिए मेट्रो, बसों और अन्य सार्वजनिक प्रणालियों का उपयोग बढ़ाएं।
- **इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं:** आयातित पेट्रोलियम पर निर्भरता और उस पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को कम करने के लिए ईवी (EV) अपनाएं।
- **वर्क-फ्रॉम-होम को पुनर्जीवित करें:** ईंधन की मांग में कटौती और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए कोविड-काल की डब्ल्यूएफएच (WFH) व्यवस्था वापस लाएं।

- **विदेश यात्रा से बचें:** प्रेषण (remittances) और डॉलर के बहिर्वाह को कम करने के लिए गैर-जरूरी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में कटौती करें।
- **सोने की खरीद रोकें:** आयात बिल और डॉलर के बहिर्वाह को कम करने के लिए कम से कम एक वर्ष तक सोना खरीदने से बचें।
- **स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता दें:** विदेशी मुद्रा की मांग को कम करने के लिए आयात के बजाय घरेलू रूप से निर्मित उत्पादों का चयन करें।

उपायों के पीछे तर्क

- **तनाव में विदेशी मुद्रा भंडार:** भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर लगभग $691 बिलियन रह गया है। जनवरी और मई 2026 के बीच लगभग ₹1.97 लाख करोड़ की एफआईआई (FII) निकासी और 95 के स्तर को पार कर चुके रुपये ने बाहरी क्षेत्र पर दबाव बढ़ा दिया है।
- **सोना: एक पूर्ण डॉलर रिसाव:** वार्षिक स्वर्ण आयात बिल 2025-26 में $72 बिलियन तक पहुँच गया, जो 2022-23 के $35 बिलियन से लगभग दोगुना है।
    - परिवारों द्वारा की जाने वाली प्रत्येक खरीद अर्थव्यवस्था से डॉलर बाहर भेजती है, चालू खाता घाटे को बढ़ाती है और रुपये को कमजोर करती है, जिससे अगली सोने की खरीद रुपये में और भी महंगी हो जाती है।
- **चालू खाता घाटा (CAD):** रिपोर्ट में उद्धृत आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, 2025 की दिसंबर तिमाही के दौरान भारत का कैड (CAD) बढ़कर $13.2 बिलियन हो गया, जो जीडीपी का 1.3% है।
- **तेल: 89% आयात निर्भरता:** भारत अपने कच्चे तेल का 89% आयात करता है, और कीमतें एक साल पहले के लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर अब $113 से ऊपर पहुँच गई हैं।

भारत इतने सोने की मांग क्यों करता है?

भारत दुनिया के सबसे बड़े स्वर्ण उपभोक्ताओं में से एक है, जो केवल चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। अधिकांश वस्तुओं के विपरीत, भारत में सोने की मांग विशुद्ध रूप से वित्तीय नहीं है - यह सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में गहराई से रची-बसी है, जिससे इसे केवल नीतिगत अपीलों के माध्यम से दबाना विशिष्ट रूप से कठिन हो जाता है।

- **सांस्कृतिक महत्व:** सोना सभी समुदायों में समृद्धि, स्थिति और शुभता का प्रतीक है। प्रमुख जीवन आयोजनों पर सोना उपहार में देना एक सामाजिक दायित्व है।
- **धार्मिक महत्व:** सोना धार्मिक अनुष्ठानों, मंदिर के चढ़ावे और धनतेरस एवं अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों का अभिन्न अंग है, जो मौसमी मांग में वृद्धि लाते हैं।
- **निवेश मूल्य:** सोने को एक सुरक्षित आश्रय संपत्ति (safe-haven asset) और मुद्रास्फीति से बचाव (inflation hedge) के रूप में देखा जाता है, विशेष रूप से औपचारिक वित्तीय साधनों तक सीमित पहुंच वाले ग्रामीण परिवारों में।

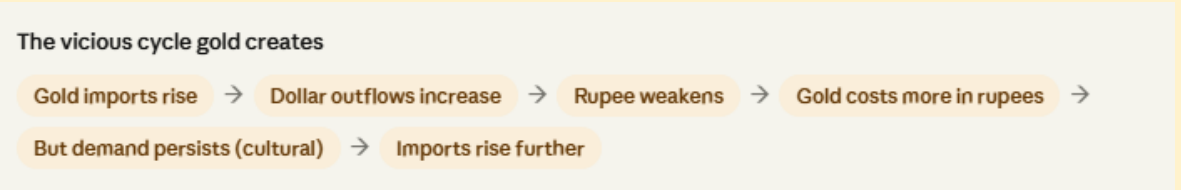

उपायों का आर्थिक प्रभाव

- **चालू खाता घाटे में कमी:** कम कैड (CAD) विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करता है और रुपये को स्थिर करता है।
- **रुपये का स्थिरीकरण:** सोने और पेट्रोलियम आयात से कम डॉलर बहिर्वाह बाजार में डॉलर की मांग को कम करेगा, जिससे रुपये की 95 के स्तर से आगे की गिरावट को रोकने में मदद मिलेगी और उस दुष्चक्र को तोड़ा जा सकेगा जहां कमजोर रुपया आयात को महंगा बनाता है, जो रुपये को और कमजोर करता है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण:** स्वर्ण आयात में कमी, कम विदेश यात्रा और स्थानीय वस्तुओं के उच्च उपयोग का संयोजन सामूहिक रूप से भारत के $691 बिलियन के भंडार की गिरावट को धीमा कर देगा।
- **ईंधन की कीमतों से मुद्रास्फीति का प्रसार:** खपत के व्यवहार के बावजूद, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि व्यापक रूप से अपेक्षित है। चूंकि भारत में अधिकांश माल ढुलाई डीजल पर चलती है, इसलिए किसी भी संशोधन का प्रभाव कुछ ही दिनों में किराना, परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा।

आगे की राह

- **स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (GMS):** उद्योग विशेषज्ञों ने आयातित सोने पर निर्भरता कम करने के लिए स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को मजबूत करने का सुझाव दिया है। इस योजना का उद्देश्य परिवारों के पास पड़े निष्क्रिय सोने को जुटाना और उसे औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाना है।
- **यात्रा घाटा:** हवाई अड्डों, विरासत स्थलों और आतिथ्य क्षमता जैसे अंतर्गामी (inbound) पर्यटन बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए तत्काल अपग्रेड की आवश्यकता है।
- **इलेक्ट्रिक वाहन:** सरकारी ईवी (EV) बेड़े के संक्रमण को अनिवार्य करना।
- **FII बहिर्वाह:** संप्रभु बॉन्ड बाजारों को गहरा करना ताकि भारतीय प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक विदेशी पूंजी के लिए सुलभ बनाया जा सके।